उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3

संख्या-1/3631/12-3-2013-100(22)/2013,

लखनऊ: **दिनांक**: 31 **दिसम्बर**, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित उप योजना ब्रिगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन इस्टर्न इण्डिया के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव (कृषि)	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
6	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

बी.जी.आर.ई.आई. योजना के कार्यो के अनुश्रवण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा।

कृषि-

कृषि निवेशों यथा बीज, उर्वरकों, कीटनाशी रसायनों एवं अन्य निवेशों की योजनानुसार आवश्यकता, उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति।

ऊर्जा-

बी.जी.आर.ई.आई. जनपदों में कृषि कार्यो हेतु विद्युत उपलब्धता।

सिंचाई-

बी.जी.आर.ई.आई. जनपदों में सिंचाई जल की आवश्यकता, उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति।

वित्त-

कृषकों को कृषि निवेश को स-समय उपलब्ध कराये जाने हेतु ऋण की आवश्यकता, ऋण की उपलब्धता तथा स-समय वितरण पर विचार-विमर्श, किसान क्रडित कार्ड की गहन समीक्षा।

खाद्य एवं रसद-

FAQ Standard आधारित गुणवत्तायुक्त कृषक उत्पाद हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था, क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त धनराशि, जूट के बोरे गुणवत्तापरख उपकरण एवं वजन करने वाली मशीनों का प्रबंध, क्रय किये गये सामग्रियों के उपयुक्त भण्डारण, मिलिंग हेतु भारतीय खाद्य निगम एवं कृषि विभाग का यथोष्ठ सहयोग।

कृषि निदेशक द्वारा उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह पर नियमित रूप से आहूत करायी जायेगी।

(देवाशीष पण्डा)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3631(1)/12-3-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (क्राप्स), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, क्राप्स डिवीजन, एन.एफ.एस.एम. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in